श्री अमृत लाल मीणा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 22-5-2013 को जमुई जिला के भ्रमण टिप्पणी :-

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22-5-2013 को संध्या 6.00 बजे उप विकास आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गयी ।

2- बैठक में मनरेगा, इन्दिरा आवास, एस0ई0सी0सी0 एवं एन0आर0एल0एम0 के संबंध में चर्चा की गयी ।

3- समीक्षोपरान्त पायी गयी स्थिति निम्नवत् हैं :-

जिला स्तर पर की गयी कार्रवाई के बिन्दु :-

I. समीक्षा से यह स्पष्टत: ज्ञात हुआ कि जिला स्तर से मनरेगा का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण विभिन्न आयामों में स्थिति अच्छी नहीं है, विशेषकर मनरेगा दिवस अभियान में न तो सभी पंचायतों की जॉच हो पायी है और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गयी है । यह भी पाया गया कि पदाधिकारी समय पर प्रतिवेदन नहीं देते हैं । यह अत्यन्त ही गम्भीर विषय है जिस पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ध्यान देकर एक माह के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे ।

II. निधि प्रबंधन का उंचित अनुश्रवण नहीं है । 2 मई को प्राप्त हुई निधि अबतक प्रचायतों को स्थानान्तरित नहीं हो पायी है । निधि प्रबंधक इसके लिए जिम्मेवार हैं । जिला कार्यक्रम समन्वयक स्पष्टीकरण पूछ कर इसकी पुनरावृति नहीं हो, इसकी व्यवस्था करेंगे ।

III. सामाजिक अंकेक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं किया गया है । सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य की रूपरेखा तैयार कर अखबारों में प्रकाशित किया जाए । जिला प्रतिनिधि भविष्य में निश्चित रूप से सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेंगे ।

IV. Statement of Job का वितरण नहीं हुआ है । दिनांक 30–6-2013 तक Statement of Job बंट जानी चाहिए थी ।

V. खैरा प्रखंड में बेरोजगारी भत्ता भुगतान का मामला है । भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

VI. मजदूरों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी भुगतान में विलम्ब पाया गया । डाक अधीक्षक से समन्वय कर सुनिश्चित किया जाए कि विलम्ब की स्थिति नहीं हो ।

VII. बैंकों में खाते खुलवाने की स्थिति ठीक नहीं है । इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए ।

VIII. मनरेगा भवन की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं है । एक माह में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई हो ।

IX. इन प्रखंडों में भवन नहीं है यथा- बरहट, गिद्धौर एवं अलीगंज । जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि इसके लिए वॉछित जमीन की व्यवस्था कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ।

X. इस जिला में अनुसूचित जन जाति की बड़ी आबादी है । महादलित परिवारों के मांग सृजन अभियान की भाँति 1-5 जून को अनुसूचित जन जाति की मांग सृजन का विशेष अभियान चलाया जाए ।

XI. समीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि लगभग 30 प्रतिशत महादलित परिवार से सम्पर्क नहीं हो पाया है । बताया गया कि अधिकांश परिवार कार्य की खोज में बाहर पलायलन कर गये हैं । जिला पदाधिकारी अपने स्तर से इस संबंध में अनुश्रवण करेंगे ।

XII. इस जिले में तालाब के बजाए कुओं की मांग है । जिला पदाधिकारी मांग के आलोक में निजी कूपों के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई करेंगे ।

XIII. निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया हैं । मार्गदर्शिका के आलोक में निदेशक सामाजिक वानिकी एक दिशा निर्देश जमुई एवं अन्य सभी जिलों को 7 दिनों के अन्दर निर्गत कराएँगे कि संपोषण कितने साल तक अनुमान्य है ।

XIV. इन्दिरा आवास योजना के संशोधित लक्ष्य अनुसार लाभान्वितों का चयन कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण है । इसे 31 मई तक पूरा किया जाए ।

XV. कई पंचायतों में अनुसूचित जाति की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गयी है । इसके लिए प्रखंडों में सर्वेक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारियों को पूरक सूची भेजी गई है । जिला पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे ताकि शीघ्र निष्पादन हो सके ।

ह0-
(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0-
सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: विकास आयुक्त , बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0-
सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, जमुई/ उप विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0-
सचिव

ज्ञापांक- 172/सि0/150075 पटना, दिनांक- 29.05.2013

प्रतिलिपि: आयुक्त, मनरेगा / आयुक्त स्वरोजगार / अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री अतुल कुमार वर्मा), अनुश्रवण कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव